न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा

अधिग्रहण वाद संख्या– 03/2018,

राज्य बनाम श्रीमती ममता देवी

–::आदेश::–

(5)

06.12.2019

प्रस्तुत अधिग्रहण वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा, के पत्रांक 2289/गो०, दिनांक 15.12.2017 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ किया गया।

प्रस्ताव में अंकित है कि :–

दिनांक 10.12.2017 को गुप्त सूचना के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, कहरा एवं थानाध्यक्ष सदर सहरसा के द्वारा संयुक्त रूप से मेसर्स ईश्वर राईस मिल, पटुआहा की छापेमारी की गई। छापामारी के दौरान गोदाम में अवैध रूप से भंडारित 810 बैग में अरवा चावल दो इलेक्ट्रानिक कांटा जप्त किया गया। भंडारित अरवा चावल जो कालाबाजारी के उद्‌देश्य से रखा गया था। उक्त अवैध रूप से भंडारित अरवा चावल के विरूद्ध ईश्वर राईस मिल के प्रोपराईटर श्रीमती ममता देवी के विरूद्ध श्री अमरेन्द्र कुमार अमर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कहरा के द्वारा सदर थाना सहरसा में प्राथमिकी संख्या 1306/17 दिनांक 12.12.17 को दर्ज की गई है। (जप्ती सूची संलग्न) जप्त अरवा चावल को अधिग्रहण हेतु भवदीय को भेजी जाती है। साथ ही भवदीय से अनुरोध है कि जबतक अधिग्रहण आदेश पारित नहीं हो जाता है तबतक के लिए जप्त अरवा चावल को जिम्मेनामा पर सुरक्षित रखवाने के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन
ह०/–
अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर सहरसा।

प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 17.03.2018 के आदेश से उक्त जप्त 810 बैग अरवा चावल एवं दो कांटा (इलेक्ट्रानिक) को अधिग्रहित किया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा को निदेशित किया गया कि उक्त जप्त चावल एवं इलेक्ट्रानिक कांटा को बाजार दर (न्यूनतक समर्थन मूल्य से अन्यून) पर बिक्री करवाकर प्राप्त राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिवादी ममता देवी द्वारा दिनांक 17.03.2018 के आदेश से क्षुब्ध होकर माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी०डब्लु०जे०सी० वाद संख्या 22763/2018, दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 30.11.2018 को यह आदेश दिया गया कि यदि अधिग्रहित चावल को विक्री नहीं किया गया हो तो ऐसी स्थिति में वाद के अंतिम निष्पादन तक जप्त चावल के विक्री पर रोक लगाया गया। साथ ही दिनांक 25.04.2019 के आदेश से इस वाद अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.03.2018 को खारिज करते हुए निदेश दिया गया कि प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत पक्ष को सुनकर नये सिरे से आदेश पारित किया जाय।

माननीय उच्च न्यायालय से सी०डब्लु०जे०सी० वाद संख्या– 22763/2018,

के अन्तर्गत पारित आदेश के आलोक में प्रतिवादी ममता देवी द्वारा भी अपना लिखित और मौखिक पक्ष रखा गया। प्रतिवादी के ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम 6क एवं 6ख में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि वे मेर्सस ईश्वर राईस मिल, पटुआहा के प्रोपराईटर हैं। उक्त मिल में धान से चावल तैयार करने का कार्य होता है। केन्द्र सरकार के साथ राज्य सरकार द्वारा भी धान, चावल और कुछ अन्य अनाजों हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति लिये जाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

प्रतिवादी का पुनः कहना है कि उनके राईस मिल को दिनांक 10.12.2017 से पूरा सीलबंद कर दिया गया है और इस कारण उक्त तिथि से इनका पूरा मिल परिसर बंद पड़ा है। सिर्फ चावल और इलेक्ट्रानिक कांटा से संबंधित मामले को लेकर पूरे मिल परिसर को सीलबंद किया जाना उचित नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन और थाना में दर्ज मामले में भी इनके विरूद्ध न तो कोई प्रमाणिक साक्ष्य है और न ही अंकित किसी तथ्य से इनका दोष प्रमाणित होता है।

ये इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में भी सी०डब्लु०जे०सी० वाद संख्या 22763/2018, के अन्तर्गत मामला दायर किए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दाखिल मामले के अन्तर्गत पारित आदेश एवं निदेश के आलोक में ही ये अपना पक्ष इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। अपीलार्थी द्वारा इसी के साथ साक्ष्य के रूप में मेसर्स ईश्वर राईस मिल, पटुआहा से संबंधित अनापत्ति और अनुज्ञप्ति संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए मिल परिसर को सीलमुक्त करने और जप्त 810 बैग चावल और इलेक्ट्रानिक कांटा को मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। उनका कथन है कि गुप्त सूचना के आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कहरा एवं थानाध्यक्ष सदर सहरसा के संयुक्त रूप से दिनांक 10.12.2017 को मेसर्स ईश्वर राईस मिल पटुआहा में छापामारी की गई। छापामारी के दौरान मिल व गुदाम को बंद पाया गया। गेट पर प्रो० ममता देवी का नाम लिखा पाया गया व गेट के दीवाल पर दुर्गा फार्म हाउस चालु है, लिखा पाया गया। वहाँ उपलब्ध सामानों के भौतिक सत्यापन के पश्चात् अवैध रूप से भंडारित 810 बैग में अरवा चावल एवं दो इलेक्ट्रानिक कांटा को जप्त किया गया एवं घटना स्थल पर कोई भंडारित सूची या कोई अन्य कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। विशेष लोक अभियोजक का कहना है अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा के पत्रांक 2289/गो०, दिनांक 15.12.2017 व उसके साथ संलग्न प्रखंड विकास पदाधिकारी, कहरा के आवेदन से स्पष्ट है कि बंद मिल के आड़ में खाद्यान्न का कालाबाजारी का कार्य जारी था। उक्त स्थिति प्रतिवादी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम का खुला उल्लंघन किया गया है। अतः उनके द्वारा जप्त 810 बैग अरवा चावल एवं दो कांटा (इलेक्ट्रानिक) को अधिग्रहित करने का अनुरोध किया गया।

उक्त मामले के संबध में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा से भी प्रतिवेदन की मांग की गई। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा द्वारा पूर्व में भेजे गये पत्रांक 2289/गो०, दिनांक 15.12.2017 का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदित किया है कि मेसर्स ईश्वर राईस मिल, पटुआहा पूर्ववत सील अवस्था में है। जप्त 810 बैग अरवा चावल और दो इलेक्ट्रानिक कांटा का बिक्री नहीं किया गया है।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं प्रतिवादी को सुना एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवादी मेसर्स ईश्वर राईस मिल परिसर अन्तर्गत भंडारित 810 बैग अरवा चावल और दो

इलेक्ट्रानिक कांटा मशीन पर अपने दावे के संबंध में कोई सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। दूसरी और अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रांक 2289/गो०, दिनांक 15.12.2017 के अवलोकन एवं राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुनने से स्पष्ट होता कि प्रतिवादी द्वारा बंद पड़े चावल मिल के आड़ में अवैध रूप से खाद्यान्न का कालाबाजारी का कार्य किया जाता है। अतः प्रतिवादी के अनुरोध को अस्वीकृत करेत हुए जप्त खाद्यान्न 810 बैग अरवा चावल एवं दो कांटा (इलेक्ट्रानिक) को अधिग्रहित किया जाता है।

अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा को निदेशित किया जाता है कि जप्त 810 बैग अरवा चावल एवं दो कांटा (इलेक्ट्रानिक) को खुले निविदा के माध्यम से नीलाम करवाकर प्राप्त राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा करवाना सुनिश्चित करें।

इसी विवेचन के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 17 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 13.01.20

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
13/01/20